संख्या : 275/VIII/680–श्रम टीसी–II/02

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
4. सभी विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. समस्त प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजकीय निगम।
7. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून तथा समस्त अधिशासी अधिकारी, स्थानीय निकाय, उत्तरांचल।
8. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरांचल।
9. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग देहरादून : दिनांक 16 फरवरी, 2006

विषय : **भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के कियान्वयन की प्रगति सूचना।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2175/VIII/680–श्रम टी.सी.–II/02 दिनांक 31 अक्टूबर, 2005 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उक्त अधिनियमों के कियान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर प्रगति की सूचना शासन को प्रेषित करने के सम्बन्ध में है।

उक्त संदर्भ में जैसे कि आप अवगत हैं कि अधिनियम के अन्तर्गत आवर्त सभी स्थापनों/सेवायोजकों द्वारा निर्माण कार्य के प्रारम्भ होने के 60 दिन के भीतर अपने स्थापनों का पंजीकरण कराना आवश्यक है साथ ही भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3 के साथ पठित नियम 4 के अनुसार उपकर की निर्धारित धनराशि का भुगतान भी निर्माण कार्य की समाप्ति के 30 दिन के भीतर अथवा उपकर निर्धारण की तिथि से 30 दिन के भीतर जो पहले हो, सेस कलेक्टर एवं उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पास जमा किये जाने की विधिक अनिवार्यता है किन्तु अधिनियम के अन्तर्गत अब तक पंजीकृत किये गये प्रतिष्ठानों एवं बोर्ड के पक्ष में जमा किये गये उपकर की राशि की सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई है और उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत नियुक्ति अधिकारियों द्वारा कृत कार्यवाही तथा बोर्ड के समक्ष पंजीकरण/सेस जमा होने की सूचना भी शून्य है।

उक्त क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का भी निदेश हुआ है कि शासन के वित्त विभाग से परामर्श के उपरान्त भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्रावधानो के अनुसार भवन और अन्य सन्निर्माण स्थापनों के सम्बन्ध में देय समस्त फीस स्थानीय कोषागार में निम्नलिखित विभागीय लेखाशीर्षक में जमा की जाय।

" 2230–श्रम तथा रोजगार–800 अन्य प्राप्तियां–99 अन्य विविध प्राप्तियों के अन्तर्गत अन्य विविध प्राप्तियां "

2. उत्तरांचल में निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा **उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड** का गठन किया गया है। कल्याणकारी योजनाओं के पोषण एवं संचालन हेतु आर्थिक संसाधन जुटाने के लिये अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार बोर्ड द्वारा **भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि** में पंजीकृत किये जाने वाले लाभार्थी श्रमिकों से प्राप्त पंजीकरण शुल्क, मासिक अंशदान के अलावा आय का मुख्य आर्थिक स्रोत इस निमित केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित भवन और अन्य

सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अधीन प्राप्त उपकर, शास्ति और ब्याज सम्मिलित हैं। अतः श्रमिकों के लिये कल्याणकारी योजनाएं तभी प्रारम्भ की जा सकती हैं जब बोर्ड के पास निर्माण इकाइयों से प्राप्त उपकर की धनराशि समय से जमा होती रहे और उपकर का निर्धारण एवं भुगतान सुनिश्चित कराने के लिये विहित प्राधिकारी एवं अधिकारीगण पूर्ण निष्ठा और तत्परता के साथ अधिनियम के प्रावधानों को लागू करें।

उपकर का भुगतान उन्हीं निर्माण स्थापनों या व्यक्तियों द्वारा किया जाना है, जिन पर भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्रावधान लागू होते हैं और जो अधिनियम की धारा 2(j) के अन्तर्गत परिभाषित "establishment" की परिभाषा से आच्छादित हैं। आगे अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि सरकारी विभागों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के मामलों में उपकर का भुगतान स्रोत पर ही कटौती कर जमा किया जायेगा। जहां निर्माण कार्यों की स्वीकृति किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित हो, उस स्थिति में निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के साथ देय उपकर उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में रेखांकित मांगदेय ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किये जाने का प्रावधान है। निर्माण कार्य के नियोजक निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के समय कार्य प्रारम्भ नोटिस के साथ उपकर की धनराशि बोर्ड के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अग्रिम भी जमा कर सकते है।

यदि निर्माण कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक हो, उस स्थिति में उपकर की धनराशि कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि में किए गये निर्माण कार्य की लागत पर अनुमानित कर जमा की जायेगी और अवशेष उपकर कार्य समाप्ति पर प्रासंगिक अवधि में निर्माण कार्य की लागत के अनुसार अधिसूचित दरों पर जमा किये जाने का प्रावधान है। भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.9.96 के अनुसार उपकर की दर निर्माण लागत का 1 प्रतिशत के बराबर की धनराशि देय होना निश्चित किया गया है।

प्रत्येक निर्माण इकाई के सेवायोजक/स्वामी को प्रपत्र 1 में अपने स्थापन के सम्बन्ध में विवरण उपकर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसके आधार पर ही उपकर निर्धारण अधिकारी उपकर का निर्धारण उक्त विवरण प्राप्त होने के 6 माह के भीतर कर सकेंगे। यदि निर्धारित किये गये उपकर का भुगतान उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर जमा नही किया जाता है, उस स्थिति में उपकर निर्धारण अधिकारी ऐसी निर्माण इकाई के सेवायोजक पर शास्ति आरोपित कर सकता है, जो देय उपकर की धनराशि के बराबर तक हो सकता है। इतना ही नहीं अदत्त उपकर पर विलम्ब से भुगतान करने पर ब्याज भी लगाया जा सकता है तथा उपकर निर्धारण अधिकारी ऐसे समस्त उपकर, शास्ति और ब्याज की वसूली के सम्बन्ध में निर्माण इकाई के सेवायोजक के विरूद्ध भू-राजस्व के रूप में वसूली प्रमाण पत्र भी जारी कर सकता है। शासन द्वारा उपकर निर्धारण के लिये अपनी अधिकारिता सीमा के भीतर सभी उप जिलाधिकारियों को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपकर निर्धारण अधिकारी नियुक्त किया गया है।

विस्तृत जानकारी हेतु श्रम विभाग द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शिका और ब्रोशर की एक प्रति पुनः आपके अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है। पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी हेतु क्षेत्र से सम्बन्धित सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त/अपर श्रमायुक्त तथा उपकर जमा करने के सम्बन्ध में क्षेत्र के सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

आप भली भांति अवगत है कि राज्य सरकार उक्त अधिनियम को उत्तरांचल में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये कृतसंकल्प है और भारत सरकार द्वारा भी असंगठिन क्षेत्र के भवन निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, जिसके अनुश्रवण हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय में स्पेशल ग्रुप का गठन किया गया है। इस संदर्भ में समय-समय पर आयोजित बैठकों में राज्य सरकार से अधिनियम के कियान्वयन की प्रगति की सूचना प्रेषित की जाने की अपेक्षा की जाती है।

अतः अनुरोध है कि अधिनियम के कियान्वयन के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों और अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश जारी करने का कष्ट करें तथा

इस दिशा में कृत कार्यवाही की सूचना शासन और श्रम विभाग को देने का कष्ट करें। समस्त निर्माण कार्यों की निर्माण लागत के 1 प्रतिशत के बराबर उपकर की धनराशि जमा करने हेतु विभागीय बजट में व्यवस्था कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

पृष्टांकन संख्या : 275 (1)/VIII/680–श्रम टीसी–2/2006 तद्दिनांकित :
प्रतिलिपि :–1. अपर श्रमायुक्त, देहरादून को उक्त संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल राज्य की पांचवीं वर्षगांठ के शुभअवसर पर

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याणार्थ कल्याणकारी योजनाओं का शुभारम्भ

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, राज्य नियमावली, उपकर अधिनियम व सपठित नियमावली के मुख्य प्रावधान एवं तदन्तर्गत गठित कल्याणकारी योजनायें –

- 10 या 10 से अधिक श्रमिकों का नियोजन करने वाले भवन और अन्य सन्निर्माण प्रतिष्ठान आच्छादित।
- आच्छादित सभी प्रकार के सन्निर्माण प्रतिष्ठानों का श्रम विभाग में पंजीयन अनिवार्य ।
- मा0 मंत्री जी, श्रम एवं सेवायोजन की अध्यक्षता में भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड गठित।
- 18 से 60 वर्ष के मध्य आयुसीमा के कर्मकारों का लाभार्थी के रूप में बोर्ड में पंजीकरण अनिवार्य।
- महिला कर्मकार को प्रसूति काल में रू0 1000/– प्रसूति सुविधा।
- 60 वर्ष की आयु पर रू0 150/– मासिक पेंशन तथा पेंशन का आधा अथवा रू0 100/– जो अधिक हो, फैमली पेंशन।
- कर्मकारों के लिए मकान की खरीद/निर्माण हेतु रू0 50,000/– तक की अग्रिम राशि, की सुविधा।
- लकवा, कुष्ठ रोग, तपैदिक अथवा दुर्घटना आदि के कारण स्थायी निःशक्तता पर रू0 150/– मासिक तक निःशक्तता पेंशन तथा रू0 5,000/– तक अनुग्रह राशि।
- नियोजन के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर रू0 50,000/– तथा सामान्य मृत्यु की दशा में मृतक कर्मकार के नामितों/आश्रितों को रू0 15,000/– की आर्थिक सहायता।
- अन्त्येष्टि संस्कार खर्च हेतु मृतक कर्मकार के नामितों/आश्रितों को रू0 1,000/– की स्वीकृति।
- उपचार हेतु रू0 1,000/– तक तथा दुर्घटना में निःशक्त होने पर रू0 5,000/– तक चिकित्सा सहायता।
- कर्मकार के बच्चों के लिए शिक्षा आर्थिक सहायता तथा औजार हेतु रू0 5,000/– तक ऋण सुविधा, ।
- दो बच्चों तक के विवाह के लिये तथा महिला कर्मकारों को स्वंय के विवाह के लिये रू0 2,000/– की सहायता।
- बोर्ड द्वारा समय–समय पर अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी गठित की जायेंगी।
- सन्निर्माण प्रतिष्ठान के कार्य प्रारम्भ, समापन तथा दुर्घटनाओं की सूचना प्रेषित की जानी अनिवार्य।
- उपकर अधिनियम के अन्तर्गत सन्निर्माण प्रतिष्ठानों से निर्माण लागत का 1 : उपकर बोर्ड निधि में जमा किया जाना अनिवार्य।

जे० एस० बिष्ट अपर श्रमायुक्त	डा० पी० एस० गुसाईं श्रमायुक्त	नृप सिंह नपलच्याल प्रमुख सचिव

Print Vision, 0135 2652627, 2629970

उत्तरांचल शासन

श्रमायुक्त, उत्तरांचल

श्रम भवन, नैनीताल मार्ग, हल्द्वानी, उत्तरांचल

दूरभाष : 05946–224214 टेलिफैक्स : 05946–282805

उत्तरांचल राज्य की पांचवीं वर्षगांठ के शुभअवसर पर

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याणार्थ कल्याणकारी योजनाओं का शुभारम्भ

कल्याणकारी योजनायें

उत्तरांचल शासन

श्रम विभाग, श्रमायुक्त संगठन

उत्तरांचल

मार्गदर्शिका

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार
(नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996
सपठित राज्य नियमावली, 2005
एवं तदन्तर्गत गठित कल्याणकारी योजनायें

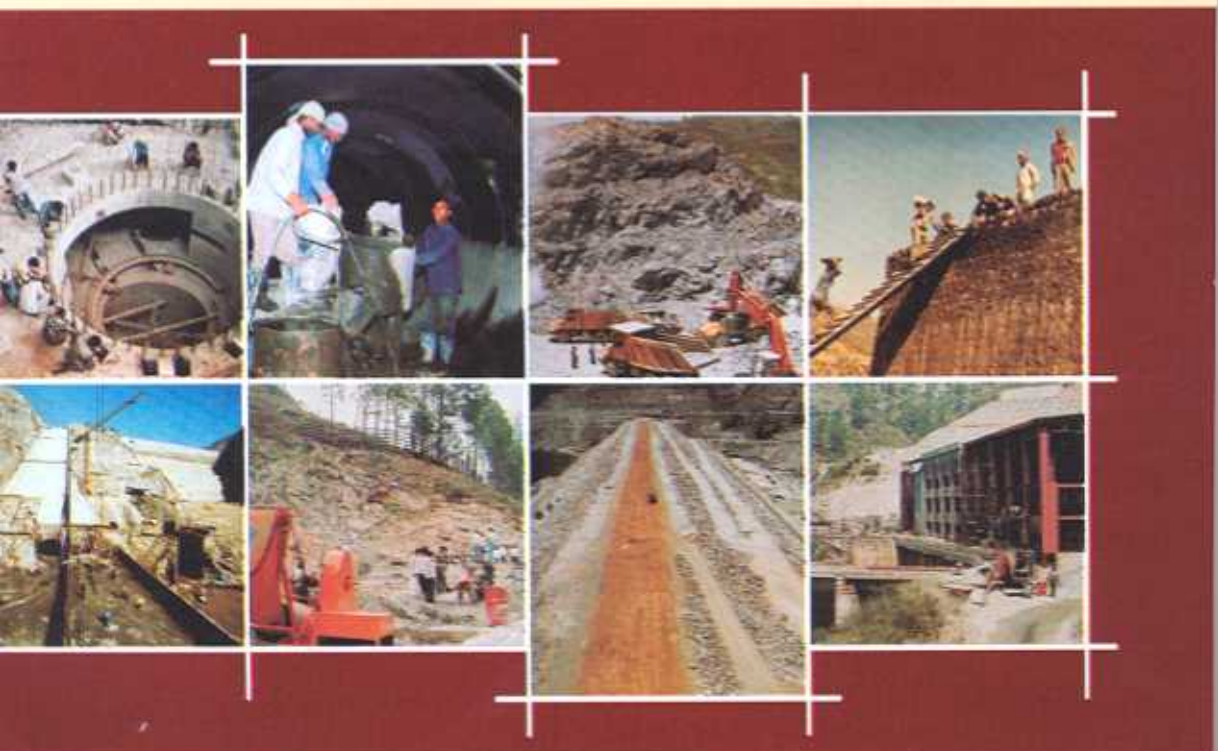

उत्तरांचल शासन

श्रम विभाग, श्रमायुक्त संगठन
उत्तरांचल

मार्गदर्शिका

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार
(नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996
सपठित राज्य नियमावली, 2005
एवं तदन्तर्गत गठित कल्याणकारी योजनायें

श्रम विभाग, श्रमायुक्त संगठन
उत्तरांचल सरकार

अनुक्रमणिका

संदेश

आमुख

आभार

प्रस्तावना

सन्निर्माण प्रकियायें क्या हैं?

कल्याणकारी योजनाओं की एक झलक

प्रतिष्ठानों / नियोजकों के दायित्व

वास्तुविदों, इन्जीनियरों आदि के दायित्व

राज्य और बोर्ड की सेवाओं में व्यक्तियों के दायित्व

कर्मकारों के दायित्व

अन्य प्रावधान

उपकर अधिनियम / नियमावली के प्रावधान

कल्याण योजनाओं का विस्तृत विवरण

उत्तरांचल सरकार की कार्यवाही

अधिसूचनायें

रायण दत्त तिवारी
ख्य मंत्री, उत्तरांचल

विधान भवन,
देहरादून – 248 001
भारत

सन्देश

मुझे यह जानकर अपार प्रसन्नता हो रही है कि विभिन्न सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत मिकों के कल्याणार्थ भारत सरकार द्वारा अधिनियमित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार योजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत गठित विभिन्न ल्याणकारी योजनाओं का शुभारम्भ करने का संकल्प लिया गया है, जो निःसंदेह श्रमिकों उत्थान, राज्य के विकास और औद्योगिक प्रगति के लिए एक शुभ संकेत है।

किसी भी निर्माण कार्य में या उत्पादन कार्य में श्रमिक का योगदान और उसके त्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, उसके बिना सृजन की कल्पना ही अधूरी है। श्रमिकों योगदान बुनियाद के पत्थर की तरह अदृश्य रहता है। ऐसे ही श्रमिकों के हितार्थ त्तरांचल राज्य की स्थापना की पांचवीं वर्षगांठ के शुभअवसर पर कल्याणकारी योजनाओं शुभारम्भ पर प्रकाशित मार्गदर्शिका सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए उपयोगी सिद्ध गी। इस शुभअवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

षुभकामनाओं सहित।

(नारायण दत्त तिवारी)

हीरा सिंह बिष्ट
परिवहन, तकनीकी शिक्षा
श्रम, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री,
उत्तरांचल

उत्तरांचल शासन

सन्देश

मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि असंगठित क्षेत्र के एक बहुत बड़े श्रमिक
के कल्याणार्थ भारत सरकार द्वारा बनाये गये भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (
तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को उत्तरांचल में कार्यान्वि
के उद्देश्य से श्रम विभाग, उत्तरांचल द्वारा राज्य नियमावली निर्मित की गयी है,
अन्तर्गत कल्याण योजनाओं का शुभारम्भ राज्य की स्थापना के पांचवी वर्षगांठ के शु
पर करने का संकल्प लिया गया है। उत्तरांचल राज्य इस प्रयास में देश के उन
उल्लेखनीय प्रदेशों की पंक्ति में सम्मिलित हो गया है, जो निर्माणी श्रमिकों क
स्वास्थ्य और उनकी कार्यदशाओं में सुधार लाने के लिए कृतसंकल्प हैं।

अधिनियम के प्रावधान इतने व्यापक हैं कि उनको अक्षरशः कार्यान्वित करने
एक बड़े एवं कुशल प्रवर्तन तंत्र को विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें सेव
वास्तुविदों, श्रमिक संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों एवं उपेक्षित निर्बल वर्ग की चिन्ता क
समाजशास्त्रियों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग वांछनीय है। इस दिशा म
मार्गदर्शिका सभी के मार्गदर्शन हेतु एक उपयोगी पुस्तिका सिद्ध होगी ऐसा मेरा वि
मुझे आशा है कि इस वृहद् कार्य को मूर्त रूप देने में श्रम विभाग के अ
सेवायोजकगण, श्रमिक बन्धु और संवेदनशील व्यक्तियों एवं संस्थाओं का भरपूर
प्राप्त होगा।

शुभकामनाओं सहित।

(हीरा सिंह बिष्ट)

एम रामचन्द्रन
ाचिव, उत्तरांचल शासन

सन्देश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि उत्तरांचल राज्य की स्थापना की पांचवीं वर्षगांठ के
वसर पर श्रम विभाग, उत्तरांचल के द्वारा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के
र्व भारत सरकार द्वारा अधिनियमित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा
शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 को राज्य में कार्यान्वित करने के उद्देश्य से राज्य
ावली बनाकर अधिनियम के प्रवर्तन के अन्तर्गत कल्याणकारी योजनाओं का शुभारम्भ
का संकल्प लिया है।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि उत्तरांचल में विभिन्न प्रकार के निर्माण
में बडी संख्या में कार्यरत श्रमिक इस अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध कल्याणकारी
ाओं से लाभान्वित होंगे और प्रस्तुत मार्गदर्शिका सभी सम्बन्धित श्रमिकों, सेवायोजकों
न्य व्यक्तियों/संस्थाओं तथा सरकारी विभागों के मार्गदर्शन के लिए पूर्ण उपयोगी
होगी।

शुभकामनाओं सहित।

(एम रामचन्द्रन)

आमुख

भवन और अन्य सन्निर्माण कार्यों में पूरे देश मे
लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। भारत में असंग
अन्तर्गत काम करने वाले ये श्रमिक असुरक्षित और यत्र–तत्र बिखरे पड़े हैं। इन
अस्थायी प्रकृति और नियोजन की आकस्मिकता के कारण इन्हें आधारभूत सु
कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत देय हितलाभ अपर्याप्त रहे हैं। इसी कमी क
के लिए बहुत लम्बे समय से एक व्यापक एवं समग्र केन्द्रीय अधिनियम बना
आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसका निर्णय इक्तालीसवें श्रम मंत्रियों के
18 मार्च 1995 को लिया गया था। तदोपरान्त विभिन्न चरणों में भवन कर्मक
प्रस्तावित अधिनियम के आलेख पर विधायी विचार विमर्श के उपरांत भवन
सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 भा
द्वारा अधिनियमित किया गया।

अधिनियम के अन्तर्गत निर्माणी श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य हेतु स
कार्यदशाओं को विनियमित करने के सम्बन्ध में व्यापक प्रावधान तो किये ही गये
उनके हितार्थ विविध कल्याणकारी योजनायें संचालित करने के विधिक प्रावधान
हैं, जैसे श्रमिकों के कल्याणार्थ एक राज्य कल्याण बोर्ड का गठन, कल्याण यो
संचालित करने के निमित्त कल्याण निधि की स्थापना, परिवार पेंशन, निःशक्तता
अनुग्रह राशि, कार्य के दौरान मृत्यु होने पर मृतक कर्मकार के आश्रितों को आर्थिक
सामान्य मृत्यु के समय भी आश्रितों को सहायता और उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति
सहायता, प्रसूति काल में आर्थिक सहायता, शिक्षा और विवाह हेतु आर्थिक सहाय
क्रय करने हेतु ऋण, भवन क्रय एवं निर्माण हेतु ऋण आदि उल्लेखनीय हैं। इन य
निर्माण कार्यों में संलग्न 18 से 60 वर्ष के श्रमिक लाभान्वित होंगे।

उपरोक्त कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने के लिए राज्य स
उत्तरांचल राज्य कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा संचालित की
योजनाओं के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा भवन
सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 बनाया गया है, जिस
निर्माणकर्ता सेवायोजक प्रतिष्ठानों से निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर बोर्ड
किये जाने का प्रावधान है, जिसका संग्रह राज्य सरकार द्वारा ही किया जायेगा।

अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से उत्तरांचल सरकार द्वारा उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2005 बनाये गये हैं, जिसके प्रवर्तन हेतु निरीक्षकों, प्राधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों एवं मुख्य निरीक्षक की नियुक्ति शासन द्वारा की जा चुकी है तथा कल्याण योजनाओं को संचालित करने हेतु राज्य कल्याण बोर्ड का गठन भी किया जा चुका है।

इस अधिनियम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में न केवल विभागीय प्रवर्तन तंत्र की लगनशीलता और कठिन परिश्रम की आवश्यकता है अपितु निर्माण कार्य के व्यवसाय में लगे सेवायोजक वर्ग की सकारात्मक सोच और सहयोग के बिना अधिनियम के अन्तर्गत निरूपित गुरूत्तर दायित्वों का निर्वहन कठिन हो सकता है।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इस कार्य में लगे सभी सरकारी गैर सरकारी अभिकरण, संस्थायें, सेवायोजकों के संगठन, श्रमिक संगठन और विभागीय प्रवर्तन तंत्र के अधिकारीगण हमारे इस संकल्प को पूर्ण करने में यथाशक्ति सहयोग प्रदान करेंगे।

यहां पर मैं राज्य नियमावली के निर्माण में और इस मार्गदर्शिका को तैयार करने में सहयोग एवं परामर्श देने हेतु विशेषज्ञ समिति, विधायी विभाग, उत्तरांचल शासन और श्रम विभाग के अधिकारियों की सराहना किये बिना नहीं रह सकता, जिनकी लगन और परिश्रम से यह मार्गदर्शिका आपके हाथों में है।

8/11/2005

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव, श्रम
उत्तरांचल शासन

डा० पी० एस० गुसाईं
श्रम आयुक्त, उत्तरांचल

आभार

यह एक सुखद संयोग है कि उत्तरांचल राज्य की स्थापना की पांचवीं वर्षग
शुभअवसर पर हम भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनि
अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ कल्याणकारी योजनाओं
शुभारम्भ कर रहे हैं तथा लोकहित में सम्बन्धित सेवायोजकों, श्रमिकों एवं जनसामा
मार्गदर्शन हेतु मार्गदर्शिका प्रकाशित कर रहे हैं। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत
नियमावली तथा मार्गदर्शिका तैयार किये जाने से सम्बन्धित महत्ती कार्य में प्रारम्भ
प्रकाश स्तम्भ के रूप में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं माननीय श्रम मंत्री जी और
सचिव, श्रम–सेवायोजन महोदय, उत्तरांचल शासन का हृदय से आभारी हूँ, जिनकी नि
प्रेरणा से हमें इस कार्य को प्रारम्भ करने के लिए ऊर्जा प्राप्त हुई है। मैं शासन तथा विभ
अपने सहयोगी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना च
हूँ, जिनके अथक परिश्रम से यह कार्य सम्पन्न हो सका है।

(डा० पी० एस० गुसाई

र अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996
ल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियो0 तथा सेवा–शर्तों का विनि0) नियम, 2005
र अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं
र अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998

मुख्य प्रावधान

न और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के नियोजन तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने तथा रों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर विधिक प्रावधान करने के केन्द्रीय सरकार द्वारा **भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त) अधिनियम, 1996** अधिनियमित किया गया। निर्माणी मजदूरों का कार्य आकस्मिक होता है; मालिक–मजदूर का सम्बन्ध अस्थाई होता है; कहीं–कहीं अनिश्चित कार्य के हैं; मूलभूत तथा कल्याण सुविधाओं की कमी होती है। वर्तमान में प्रभावी अन्य श्रम में निर्माणी मजदूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण तथा अन्य सेवा शर्तों से सम्बन्धित की अपर्याप्तता के कारण उक्त अधिनियम को केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित किया

ज्य के असंगठित क्षेत्र के अधिसंख्य निर्माणी श्रमिकों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण आदि को विधिक रूप से सुनिश्चित कराने तथा इन श्रमिकों की अन्य सेवा शर्तों को विनियमित उद्देश्य से उत्तरांचल राज्य में उक्त अधिनियम को लागू करना राज्य की प्राथमिकताओं त किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा **न्यूनतम साझा कार्यक्रम (CMP)** के अन्तर्गत उक्त को देश के सभी राज्यों में प्राथमिकता पर कार्यान्वित करने का संकल्प लिया गया है। ानकारी के अनुसार अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में एवं दिल्ली केरल राज्य, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु द्वारा **भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996** अथवा तत्समान कानून को नियमावली र्ण–रूप से लागू कर दिया गया है। उत्तरांचल सरकार द्वारा भी उक्त अधिनियम की के प्रावधानों के अन्तर्गत **विशेषज्ञ समिति** का गठन कर, समिति के परामर्श पर, **उत्तरांचल र अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम, 2005** ा संख्या 963/VIII/ 680–श्रम/2002 दिनांक 25 जून, 2005 द्वारा प्रख्यापित कर राज्य को इस पंक्ति में सम्मिलित कर दिया गया है।

सन्निर्माण प्रकियाएं क्या है ?

इस अधिनियम के अन्तर्गत भवन, गलियारे, सड़कें, रेलवेज, ट्रॉमवेज, हवाई
पानी निकासी, तटबन्ध व नौका विहार , बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, पारेषण
जल–कल, तेल एवं गैस इन्स्टालेसन, बांध, नहर, जलाशय, सुरंग, पुल, पाईप
वायरलैस, टेलीविजन, टेलीफोन आदि से सम्बन्धित निर्माण, मरम्मत, रख–रख
ध्वस्तीकरण आदि कार्यों से सम्बन्धित ऐसे प्रतिष्ठान आवर्त होते हैं, जो सरकार के
कॉरपोरेट अथवा फर्म, किसी व्यक्ति विशेष या संगम (Association) आदि द्वारा
अधिक निर्माणी मजदूरों की सहायता से किये जाते हैं किन्तु किसी व्यक्ति विशेष द्व
के ऐसे आवासीय भवन, जिसके निर्माण की लागत रू0 10 लाख से अनधिक है, पर
लागू नहीं होगा। उक्त अधिनियम सपठित राज्य नियमावली के अन्तर्गत **उत्तरांचल भ**
सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से सन्निर्मा
कल्याणार्थ अनेक योजनायें गठित की गयी हैं,जिनका विस्तृत विवरण अगले पृष्ठों में
कल्याण बोर्ड के प्रमुख आय स्रोत के रूप में, उपरोक्त निर्माण कार्यों में संलग्न प्रतिष्ठ
(Cess) को अवधारित करने एवं संग्रहित/वसूल करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा भ
सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (Cess) अधिनियम, 1996 तथा भवन और अ
कर्मकार कल्याण उपकर (Cess) नियम, 1998 बनाये गये हैं।

उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा सन्निम
के लिए गठित कल्याणकारी योजनाओं तथा तत्सम्बन्धी विधिक प्रावध
झलक

- 10 या 10 से अधिक श्रमिकों का नियोजन करने वाले भवन और अन्य सन्नि
आच्छादित।
- आच्छादित सभी प्रकार के सन्निर्माण प्रतिष्ठानों का श्रम विभाग में पंजीयन अ
- मा0 मंत्रीजी, श्रम–सेवायोजन की अध्यक्षता में उत्तरांचल भवन और अन्य सन्नि
कल्याण बोर्ड गठित।
- 18 से 60 वर्ष के मध्य आयुसीमा के कर्मकारों का लाभार्थी के रूप में बोर्ड
अनिवार्य।
- महिला कर्मकार को प्रसूति काल में रू0 1000/– प्रसूति सुविधा।

60 वर्ष की आयु पर रू0 150/– मासिक पेंशन तथा पेंशन का आधा अथवा रू0 100/– जो अधिक हो, फैमली पेंशन।

कर्मकारों के लिए मकान की खरीद/निर्माण हेतु रू0 50,000/– तक की अग्रिम राशि, की सुविधा।

लकवा, कुष्ठ रोग, तपैदिक अथवा दुर्घटना आदि के कारण स्थायी निःशक्तता पर रू0 150/– मासिक तक निःशक्तता पेंशन तथा रू0 5,000/– तक अनुग्रह राशि।

नियोजन के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर रू0 50,000/– तथा सामान्य मृत्यु की दशा में मृतक कर्मकार के नामितों/आश्रितों को रू0 15,000/– की आर्थिक सहायता।

अन्त्येष्टि संस्कार खर्च हेतु मृतक कर्मकार के नामितों/आश्रितों को रू0 1,000/– की स्वीकृति।

उपचार हेतु रू0 1,000/– तक तथा दुर्घटना में निःशक्त होने पर रू0 5,000/– तक चिकित्सा सहायता।

कर्मकार के बच्चों के लिए शिक्षा आर्थिक सहायता तथा कर्मकार को औजार हेतु रू0 5,000/– तक ऋण सुविधा।

दो बच्चों तक के विवाह के लिये तथा महिला कर्मकारों को स्वंय के विवाह के लिये रू0 2,000/– की सहायता।

बोर्ड द्वारा समय–समय पर अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी गठित की जायेंगी।

सन्निर्माण प्रतिष्ठान के कार्य प्रारम्भ, समापन तथा दुर्घटनाओं की सूचना प्रेषित की जानी अनिवार्य।

उपकर अधिनियम के अन्तर्गत सन्निर्माण प्रतिष्ठानों से निर्माण लागत का 1% उपकर बोर्ड निधि में जमा किया जाना अनिवार्य ।

- भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनि
- उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियो० तथा सेवा–शर्तों का विनि०) नि

सन्निर्माण प्रतिष्ठानों/नियोजकों के दायित्व सम्बन्धी प्रावधान

सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी

- कार्य प्रारम्भ होने के 60 दिन के भीतर निर्धारित शुल्क जमा करते हुए अथवा त प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रीकरण हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन करना तथा रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का पालन करना। (धारा 6 एवं 26 एवं 27)

- अत्याधिक शोर, कम्पन, अग्नि से परित्राण; आपातकालीन कार्य योजना; मोटर बाड़ लगाना; अत्यधिक भार का उत्थापन और वहन; स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति और हानिकारक पर्यावरण; फिसलने, डूबने , गिरने आदि परिसंकट; धूल, गैसें, नेत्र संक्षारक पदार्थ, नेत्र संरक्षण , सिर का संरक्षण और अन्य संरक्षा वस्त्र, विद्युत यानीय यातायात, संरचनाओं का स्थायित्व ,गलियारों आदि का प्रदीपन; सामग्री लगाना; सलबे का व्ययन, तलों का संख्यांकन और चिन्हांकन, सुरक्षा हेलमेटों औ प्रयोग आदि से सम्बन्धित नियमों का पालन सुनिश्चित करना। (नियम 34 से

- उत्थापक साधित्र का सन्निर्माण और अनुरक्षण; उत्थापक साधित्र की जांच औ परीक्षण; स्वचालित सुरक्षित भार सूचक; संस्थापन; विंच; बाल्टियों; निरापद काय की पहचान और चिन्हांकन; उत्थापक साधित्रों एवं उत्थापक गियरों पर लदान का केब या केबिन; उत्थापक साधित्रों को प्रचालन; उत्तोलक; उत्थापक साधित्रों के साधन और उन पर बाड़ लगाना; डेरिकों की रिगिंग; डेरिक फुट का दृ उत्थापक गियर की संरचना और रख–रखाव; परीक्षण रस्सियां; तापोचार परीक्ष पत्रों का रजिस्टर आदि विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाओं से सम्बन्धित नियमों का पाल (नियम 55 से 81 तक)

- भवन निर्माण कर्मकार के चलनपथ और ढलानों का प्रयोग; यानों द्वारा प्रयोग झुकाव; पहियेदार ठेला आदि का प्रयोग; जल द्वारा परिवहन; डूबने से बचाव; मिट्ट का उपस्कर यान, विद्युत चलित बेलचे और उत्खनित्र, बुलडोजर स्क्रेपर, डामर

सचल मशीनों, समतल करने वाले यन्त्रों, रोड रोलर आदि से सम्बन्धित सुरक्षा नियमों का पालन करना। (नियम 82 से 95 तक)

कंक्रीट संकर्म; ध्वस्तीकरण; उत्खनन और सुरंग खोदने का संकर्म; दुरारोह छत का सन्निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण; निसैनी और सोपान निशैनी; पकड़ चबूतरा; तख्तों की अस्थाई बाड़; ढालू प्रणाल; सुरक्षा बेल्ट और जाल; संरचनात्मक ढांचा और आकृति निर्माण; चट्टा लगाना और चट्टा हटाना; पाड़; काफर डॉम व नोव कोष्ठक आदि से सम्बन्धित सुरक्षा व्यवस्थाओं/नियमों का पालन करना। (नियम 96 से 207 तक)

500 या उससे अधिक निर्माण कर्मकारों पर सुरक्षा समितियों का गठन करना आदि कार्य। (नियम 208)

500 या उससे अधिक निर्माण कर्मकार नियोजित करने पर सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करना। (नियम 209)

दुर्घटनाओं की रिपोर्ट श्रम विभाग के अधिकारियो, बोर्ड, मुख्य निरीक्षक, कर्मकार के सम्बन्धियों, पुलिस तथा प्रशासन आदि को देना। (नियम 210)

विस्फोटकों के सम्बन्ध में सावधानी रखना। (नियम 212 एवं 213)

ढेर लगाने (पाईलिंग) से सम्बन्धित सावधानी/कार्य सुनिश्चित करना। (नियम 214 से 222)

भवन निर्माण कर्मकारों की चिकित्सीय परीक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबन्ध, एम्बूलेंस कक्ष, एम्बूलेंस गाड़ी, स्टेचर, व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं, विषाक्तता या उपजीविकाजन्य रोग की सूचना, प्राथमिक उपचार पेटियां, आपातकालीन सेवाओं/उपचार आदि की व्यवस्था करना। (नियम 223 से 232 तक)

भारतीय मानक ब्यूरो को निर्माण सामग्री आदि के बारे में सूचना देना। (नियम 233)

के घण्टे, सुख सुविधायें, मजदूरी का संदाय, रजिस्टर और अभिलेख आदि।

कार्य के निर्धारित घण्टों (9 प्रतिदिन अथवा 48 प्रति सप्ताह), विश्राम अंतराल, साप्ताहिक विश्राम, अतिरिक्त कार्य के लिए अतिकाल भुगतान, रात्रि की पारियों में कार्य आदि सम्बन्धी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना। (नियम 234 से 237 तक)

मजदूरी की दरों, अवधि, भुगतान तिथि, निरीक्षक के नाम–पते आदि की सूचना प्रदर्शित करना एवं निरीक्षक को भेजना। (नियम 238)

- 30 दिन पूर्व कार्य प्रारम्भ तथा कार्य समापन की संभावित तिथि आदि और समापन की सूचना निरीक्षक को भेजना। (नियम 239)
- कर्मकारों, मस्टरौल, मजदूरी रजिस्टर, कटौती रजिस्टर, अतिकाल वेतन पुस्तिकाएं और सेवा प्रमाण पत्र जारी करना– प्ररूप–XV से 241 तक)।
- प्ररूप–XXV में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा निरीक्षक को प्रति वर्ष 15 भेजना। (नियम 242)
- शौचालय और मूत्रालय, जल–पान गृह (250 कर्मकार नियोजित क खाद्य पदार्थों आदि से सम्बन्धित व्यवस्थाओं / नियमों का पालन करन 243 से 247)
- 1000 से कम मजदूर नियोजित करने पर 7 तारीख तक तथा 10 नियोजित करने पर 10 तारीख तक मजदूरी का भुगतान करना। अ प्रदर्शित करना आदि। (नियम 248 से 249 तक)

वास्तुविदों, परियोजना इंजीनियरों और डिजाइनरों के दायित्व स

- किसी परियोजना या उसके भाग या किसी भवन या अन्य सन्निर्मा लिये उत्तरदायी वास्तुविद, परियोजना इंजीनियर या डिज़ाइनर क वह यह सुनिश्चित करे कि योजना प्रक्रम पर ऐसे भवन निर्माण क स्वास्थ्य संबंधी बातों पर सम्यक् रूप से ध्यान दिया जाता है परियोजना और संरचनाओं के परिनिर्माण, प्रचालन और निष्पादन
- परियोजना से सम्बद्ध वास्तुविद, परियोजना इंजीनियर और अन्य वृ पर्याप्त सतर्कता बरती जाएगी कि डिज़ाइन में ऐसी कोई बात सम्मि ऐसी खतरनाक संरचना या प्रकिया अथवा सामग्री का प्रयोग अन्तर्ग परिनिर्माण, प्रचालन और निष्पादन के अनुक्रम में भवन कर्मकारों क लिये परिसंकटमय हो ।
- भवन, संरचनाओं या अन्य सन्निर्माण परियोजनाओं के डिजाइन में

यह भी कर्तव्य होगा कि संरचनाओं और भवनों के अनुरक्षण और रख–रखाव से सहबद्ध सुरक्षा संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखे जहाँ अनुरक्षण और रख–रखाव का काम विशेष जोखिम वाला है ।

राज्य और बोर्ड की सेवाओं में व्यक्तियों के दायित्व सम्बन्धी प्रावधान — नियम–7

- सरकार या बोर्ड की सेवा में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों का निष्पादन कराने के लिये समय–समय पर केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करे

कर्मकारों के कर्तव्य और दायित्व सम्बन्धी प्रावधान — नियम–8

- प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार का यह कर्तव्य होगा कि वह इन नियमों की ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करे जो उससे संबंधित हैं और इन नियमों की अपेक्षाओं का पालन करने में पूर्ण सहयोग करे और यदि वह परिवहन उपस्कर या अन्य उपस्करों से संबंधित उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर, उत्थापक युक्ति में कोई त्रुटि पाता है तो बिना अनुचित विलम्ब के ऐसी त्रुटियों की रिपोर्ट अपने नियोजक या फोरमैन या प्राधिकार में किसी अन्य व्यक्ति को करे ।

- कोई भवन निर्माण कर्मकार, जब तक कि सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो या आवश्यकता पड़ने पर के सिवाय ऐसी किसी बाड़, मार्गिका, गियर, निसैनी, हैच छादन, जीवन रक्षक साधित्र, प्रकाश या कोई भी अन्य वस्तुएं, जिनका उपबन्ध किया जाना अधिनियम और इन नियमों द्वारा अपेक्षित हो, नहीं हटाएगा या उनसे छेडछाड़ नहीं करेगा। यदि पूर्वोक्त किसी वस्तु को हटाया जाता है तो ऐसी वस्तु ऐसी अवधि की सामप्ति पर, जिसके दौरान उसका हटाया जाना आवश्यक था, उक्त कार्य में लगे व्यक्तियों द्वारा प्रत्यावर्तित की जाएगी ।

- प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार, प्रवेश करने के लिये केवल ऐसे साधनों का उपयोग करेगा जिनका उपबन्ध इन नियमों के अनुसार किया गया है और कोई व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे प्रवेश के साधनों से भिन्न प्रवेश के साधनों का उपयोग करने के लिये प्राधिकृत या आदेशित नहीं करेगा।

- भवन निर्माण कर्मकार का यह कर्तव्य होगा कि वह उसके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिये नियोजक द्वारा उपलब्ध कराई गई शौचालय, मूत्रालय, धोवन स्थल, कैंटीन और अन्य सुविधाओं को वह स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्थितियों में रखे ।

अन्य प्रावधान

- अधिनियम के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में मुख्य निरीक्षक सन्निर्माण निरीक्षण द्वारा अथवा उनकी पूर्व स्वीकृति से किसी अन्य द्वार संगठन के पदाधिकारी अथवा टेड यूनियन्स एक्ट, 1926 के अन्तर्गत पंजीकृत संघ के पदाधिकारी द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जा धारा 54
- उल्लंघनकर्ताओं के लिए सजा, अर्थदण्ड और पेनल्टी का प्रावधान–धारा 47
- कतिपय अपराधों के लिए मुख्य निरीक्षक को अर्थदण्ड अवधारित करने व धारा 50
- उक्त अधिनियमों के प्रवर्तन हेतु मुख्य निरीक्षक, निरीक्षक, बोर्ड एवं समिति सचिव, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, की नियुक्ति का प्रावधान–धारा 6, 9, 19, 4
- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रजिस्ट्रीकरण–निरस्तीकरण आदेश, कल्याण बोर्ड में पंजीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के निरस्तीकरण आदेश तथा मुख्य निरीक्षक द्व अर्थदण्ड के आदेश के विरूद्ध अपील किये जाने का प्रावधान है। धारा 9, 12

और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं सपठित नियमावली, 1998 के मुख्य प्रावधान

दन

भवन सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित सन्निर्माण प्रतिष्ठान।

का अवधारण एवं कल्याण बोर्ड को भुगतान

कल्याण बोर्ड को, कल्याण कार्यों को संचालित करने हेतु संसाधन के रूप में, आच्छादित प्रतिष्ठानों के सेवायोजकों द्वारा उपकर अधिनियम, 1996 एवं उसके अन्तर्गत विनिर्मित नियम, 1998 के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की गयी निर्माण लागत का 1 प्रतिशत की दर से उपकर की धनराशि देय होगी – धारा 3

उपकर आगणन हेतु भूमि का मूल्य तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान की गयी धनराशि सम्मिलित नहीं होगी– नियम 3

सेस (Cess) कलेक्टर, उपकर निर्धारण अधिकारी, अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान –धारा 3, 5, 9, 11

उपकर (Cess) का संग्रह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सेस (Cess) कलेक्टर द्वारा किया जाना और संग्रह धन का अधिकतम 1 प्रतिशत संग्रह व्यय की धनराशि घटाकर उसका भुगतान राज्य कल्याण बोर्ड को किया जाना – धारा 3, 10

आच्छादित प्रतिष्ठान के प्रत्येक सेवायोजक द्वारा उपकर का भुगतान निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के 30 दिन के भीतर अथवा उपकर निर्धारण की तिथि से 30 दिन के भीतर सेस (Cess) कलेक्टर को भुगतान किया जाना, उपकर के अग्रिम भुगतान का भी प्रावधान– सेस (Cess) नियम 4, 6, इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों का नक्शा स्वीकृत करने वाली स्थानीय निकाय संस्था के माध्यम से भी प्रतिष्ठान द्वारा उपकर का भुगतान किया जा सकता है–धारा 3,नियम 4

पेनल्टी एवं वसूली आदि

देय उपकर पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देय–धारा 8

नियोजक द्वारा कार्य प्रारम्भ होने के 30 दिन या सेस (Cess) भुगतान के 30 दिन के भीतर प्रपत्र 1 में सेस (Cess) निर्धारण अधिकारी/प्राधिकारी को सूचना भेजना –धारा 4 नियम 6

उपकर की वसूली सेवायोजक से बतौर भू–राजस्व वसूल किया जाना– धारा 10, नियम 13

देय उपकर का भुगतान न करने पर उपकर की धनराशि के बराकर की धनराशि तक सेस (Cess) निर्धारण अधिकारी द्वारा अर्थदण्ड निर्धारित किया जा सकता है– धारा 9, नियम 12

उपकर निर्धारण आदेश तथा अदत्त उपकर के सम्बन्ध में अवधारित पेनल्टी आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील किये जाने का प्रावधान है–धारा 5 एवं 9, नियम 7, 12 एवं 14

अधिक भुगतान की गयी उपकर की धनराशि के लिए प्रपत्र 2 में वापसी हेतु आवेदन किया जा सकता है– नियम 8

उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कल्याण बोर्ड द्वारा गठित कल्याण यो
से सम्बन्धित विस्तृत प्रावधान

सदस्यता (नियम 266)

(1) प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार, जिसने आयु के 18 वर्ष पूर्ण कर लिये वर्ष पूर्ण नहीं किए है, तथा जो विधि द्वारा स्थापित एवं तत्समय निधि का सदस्य नहीं है, और जिसने पूर्ववर्ती एक वर्ष के दौरान निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो, निधि की सदस्यता के लि

(2) आवेदन पत्र के साथ आयु सम्बन्धी प्रमाण के रूप में अधोलिखित

(i) विद्यालय से प्राप्त अभिलेख,

(ii) जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रार से प्राप्त प्रमाणपत्र,

(iii) उपरोक्त प्रमाणपत्रों के न होने पर किसी चिकित्सा अधिकारी शासकीय सेवा में सहायक शल्य चिकित्सक की पंक्ति से नी

(3) नियोजक या ठेकेदार द्वारा जारी प्रमाणपत्र अथवा वेतन पर्ची या नि पुष्टि हो कि आवेदक सन्निर्माण कर्मकार है, रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेद किया जायेगा। यदि ऐसा प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है तब किसी सन्निर्माण कर्मकार संघ का अथवा सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक श्रमायुक द्वारा प्रदत् प्रमाणपत्र अथवा पंचायत के कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी विचार किया जा सकेगा ।

(4) प्रत्येक सन्निर्माण कर्मकार जो निधि के लिये फायदाग्राही होने की प निर्धारित प्ररूप संख्या XXVII में आवेदन, बोर्ड सचिव अथवा उसके प्राधिकृत प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। ऐसे प्रत्येक आवेदनपत्र के साथ उल्लिखित दस्तावेज तथा 25/– (रूपया पच्चीस) रजिस्ट्रीकरण फीस

जहाँ बोर्ड के सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का सम्यक जाँच के पश्चात यह समाधान हो जाता है कि आवेदक विनिर्दिष्ट पात्रता की शर्तें पूरी करता है, वह ऐसे निर्माण कर्मकार को सदस्य के रूप में रजिस्टर करेगा ।

उपनियम (5) के अधीन लिए गए विनिश्चय के विरूद्ध कोई भी व्यक्ति 30 दिन के भीतर बोर्ड के समक्ष अपील दायर कर सकेगा और उस पर बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम समझा जायेगा ।

निर्माण कर्मकार प्ररूप XXVIII में नामांकन पत्र भी दाखिल करेगा । विवाहोपरान्त यह नामांकन उसके पति या पत्नी के नाम संशोधित किया जा सकेगा अथवा कुटुम्ब की स्थिति में कोई कानूनी परिवर्तन होने पर संशोधित किया जा सकेगा।

सचिव अथवा इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी प्रत्येक फायदाग्रही को प्ररूप XXXII में एक फोटो पहचान पत्र जारी करेगा, जिसमें फायदाग्राही का फोटो चिपका होगा तथा जारी किये गये पहचान पत्रों का अभिलेखन निर्धारित पंजिका प्ररूप XXXIII पर रखेगा।

अभिदाय (नियम 267)

प्रत्येक फायदाग्राही 20/– रूपया मासिक दर से निधि में अभिदाय करेगा। अभिदाय बोर्ड द्वारा उस जिले में, जहां लाभार्थी निवास करता है, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये बैंकों में से किसी बैंक में, प्रत्येक त्रैमास पर अग्रिम में प्रेषित करेगा।

यदि कोई फायदाग्राही लगातार एक वर्ष की कालावधि तक अभिदाय का संदाय करने से चूक करता है तब वह फायदाग्राही नहीं रह जायेगा। परन्तु सचिव अथवा इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से फायदाग्राही की सदस्यता प्रत्यावर्तित हो सकेगी, यदि अभिदाय की बकाया धनराशि दो रूपया प्रतिमाह की दर से जुर्माने के साथ जमा की जाए, किन्तु यह प्रत्यावर्तन दो बार से अधिक आवृति पर न होगा ।

गयां दाखिल करना नियोजक का कर्तव्य (नियम 268)

प्रत्येक नियोजक, इन नियमों के प्रवृत होने की तारीख से 15 दिन के भीतर बोर्ड के सचिव को समेकित विवरणी भेजेगा, जिसमें रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए हकदार

सन्निर्माण कर्मकारों को दिये जा रहे मूल वेतन, भत्ते तथा नि
प्रदान किये जाने पर खर्च की गई धनराशि, यदि कुछ हो, सम

(2) प्रत्येक नियोजक, माह की 15 तारीख से पूर्व बोर्ड के सचिव
निमित प्राधिकृत अधिकारी को एक विवरण प्ररूप – XXX
रजिस्ट्रीकरण के हकदार कर्मकारों तथा ऐसे कर्मकारों का विवरण
माह में नौकरी छोड़कर चले गये हैं।

(3) प्रत्येक नियोजक अपने संस्थापन के सम्बन्ध में बोर्ड के सचिव अ
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्ररूप – XXXI में विवरणी भेजेग
शाखाओं, संचालकों, प्रबन्धकों, अधिभोगियों, भागीदारों, व्यक्ति,
स्थापन के कार्यकलापों पर प्रत्यक्ष या अन्तिम नियंत्रण है, विशि

अभिलेखों तथा रजिस्टरों का रखा जाना तथा प्रस्तुत किया ज

(1) प्रत्येक नियोजक एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें निर्माण कर्मकारों
अंकित होगी तथा एक रजिस्टर अभिदाय के सम्बन्ध में ऐसे प्र
बोर्ड के सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नि

(2) जब कभी बोर्ड का सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिका
व्यक्तिशः लिखित सूचना द्वारा निर्माण कर्मकार से सम्बन्धित को
की अपेक्षा करे तब नियोजक सम्बन्धित अधिकारी को ऐसे अभि
उपलब्ध करायेगा और यदि अभिलेख तत्काल वापस नहीं किये ज
अधिकारी, उसके द्वारा इस प्रकार रखे गये अभिलेखों की एक

किसी विद्यमान निधि में संचित रकम का अन्तरण (नियम 270)

(1) किसी कर्मकार के द्वारा इस निधि की सदस्यता ग्रहण करने पर
किसी निधि में संचित रकम का अन्तरण सम्बन्धित प्राधिकारी द्व

(2) अन्य कल्याण निधि से सम्बन्धित प्राधिकारी, बोर्ड के सचिव या
प्राधिकृत अधिकारी को एक विवरणी प्रेषित करेगा, जिसमें ऐसे स
पूंजी की विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जो अन्तरण की तिथि पर उ

उपनियम (1) में दिया गया है तथा अग्रिम के रूप में उसके द्वारा प्राप्त की गई राशि, यदि कोई हो, का विवरण भी दिया जायेगा ।

धा (नियम 271)

के महिला कर्मकार, जो निधि के अन्तर्गत फायदाग्राही है, को प्रसूति की अवधि के ान रूपया 1000/– प्रसूति प्रसुविधा दी जायेगी। इस प्रसुविधा हेतु उसके द्वारा प्रपत्र ट में आवेदन यथा विनिर्दिष्ट अभिलेखों के साथ बोर्ड के सचिव को दिया जायेगा। तु यह प्रसुविधा दो बार से अधिक अनुमन्य नहीं होगी ।

ये पात्रता (नियम 272)

निधि का प्रत्येक सदस्य, जो निर्माण श्रमिक के रूप में न्यूनतम अवधि एक वर्ष से ोजित रहते हुये इस नियमों के लागू होने की तिथि पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका पेंशन के लिये पात्र होगा। पेंशन की देयता उस आगामी माह की प्रथम तिथि को हो येगी, जिसमें उसने 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो ।

के लिए प्रकिया (नियम 273)

न के लिए आवेदन प्रपत्र संख्या XXXV में बोर्ड के सचिव या उसके द्वारा इस प्रयोजन लिये प्राधिकृत अधिकारी को दिया जायेगा ।

दि बोर्ड के सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की राय में आवेदक पेंशन के ए पात्र है, तो वह पेंशन स्वीकृत कर, पेंशन स्वीकृत सम्बन्धी आदेश आवेदक को प्रेषित गा। परन्तु कोई आवेदन तब तक अस्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक आवेदक को जाने का अवसर नहीं दिया जाता है ।

दि यह पाया जाता है कि आवेदक पेंशन के लिये पात्र नहीं है, तब आवेदन अस्वीकार या जायेगा और तद्नुसार आवेदक को सूचित किया जायेगा ।

वेदक आदेश प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर उप नियम (3) के अन्तर्गत लिये गये निश्चय के विरूद्ध बोर्ड के समक्ष अपील दायर कर सकता है। परन्तु अपील दायर करने एक वर्ष तक की अवधि के विलम्ब को बोर्ड पर्याप्त लिखित कारणों के साथ क्षमा कर कता है ।

(5) पेंशन की राशि एक सौ पचास रूपये प्रतिमाह होगी । पांच वर्ष बाद इसमें वृद्धि सेवा के प्रति एक वर्ष पूर्ण करने की दर से की जायेगी । बोर्ड स सहमति प्राप्त करने के पश्चात पेंशन को पुनरीक्षित कर सकता है ।

(6) पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी प्ररूप XXXVI में एक रजिस्टर रखेगा ।

भवन क्रय अथवा निर्माण हेतु अग्रिम (नियम 274)

(1) किसी सदस्य द्वारा आवेदन किये जाने पर बोर्ड पचास हजार रूपये से अन अग्रिम के रूप में मकान की तुरन्त खरीद अथवा निर्माण के लिये स्वीकृत व फायदाग्राही प्ररूप XXIX में आवेदन के साथ ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेगा विनिर्दिष्ट किये जायें ।

(2) उप नियम (1) के अधीन कोई अग्रिम धनराशि ऐसे व्यक्ति को स्वीकृत नह जो निरन्तर पांच वर्षों से निधि का सदस्य नहीं है तथा जिसकी अधिवर्षत वर्ष से कम समय शेष है ।

(3) अग्रिम आहरित होने की तिथि से 6 माह के भीतर बोर्ड के सचिव को कार्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अग्रिम के रूप में स्वीकृत धनराशि की वस निर्धारित समान किश्तों में की जायेगी ।

निःशक्तता पेंशन (नियम 275)

(1) बोर्ड ऐसे फायदाग्राही को, जो लकवा, कुष्ठ रोग, तपेदिक, दुघर्टना आदि के रूप से निःशक्त हो गया है, एक सौ पचास रूपये प्रतिमाह की दर से निः स्वीकृत कर सकता है । इस पेंशन के अतिरिक्त वह पांच हजार रूपये अनुग्रह राशि के लिए भी पात्र होगा जो निःशक्तता के प्रतिशत तथा बोर्ड द्वा किसी शर्त के अधीन होगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन निःशक्तता पेंशन और अनुग्रह संदाय के लिए आवेद पत्र और अन्य दस्तावेजों के साथ, जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किये जाये, प्ररू किया जायेगा।

करने के लिए ऋण (नियम 276)

धि के सदस्य को पांच हजार रूपये तक की राशि औजारों को क्रय करने के लिए ऋण रूप में स्वीकृत की जा सकती है। ऐसे सदस्य जिन्होंने निधि में अपनी सदस्यता 3 वर्ष क पूरी कर ली है और जो अपना अभिदाय नियमित रूप से करते हैं, इस ऋण के लिये त्र होंगे। फायदाग्राही की आयु 55 वर्ष से कम होनी चाहिये। ऋण की राशि की वसूली साठ किश्तों से अधिक में नहीं की जाएगी। इस ऋण हेतु आवेदन रूप संख्या XL में बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों सहित किया जायेगा ।

हायता का भुगतान (नियम 277)

र्ड, मृतक सदस्य के नामितों/आश्रितों को अन्त्येष्टि संस्कार खर्च के लिए एक हजार पये की धनराशि स्वीकृत कर सकता है। इस फायदा के लिये आवेदन प्ररूप XLI में तुत किया जायेगा ।

हायता का संदाय (नियम 278)

र्ड किसी सदस्य की मृत्यु पर उसके नामितों/आश्रितों को पन्द्रह हजार रूपये की मृत्यु हायता के रूप में संदाय स्वीकृत कर सकता है। यदि मृत्यु नियोजन के दौरान घटित घटना से कारित हुई हो तब सदस्य के नामिती/आश्रितों को मृत्यु सहायता के रूप में ास हजार रूपया दिया जायेगा ।

सहायता (नियम 279)

ई नामिती जो इन नियमों के अन्तर्गत मृत्योपरान्त देय सहायता के लिये हकदार हैं, र्ड के सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्ररूप संख्या XXXVII आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन के साथ मृत्यु के सम्बन्ध में/दुघर्टना जनित मृत्यु म्बन्धी प्रमाण पत्र राजकीय चिकित्सक से प्राप्त कर एवं अन्य दस्तावेज, जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जाए, प्रस्तुत किये जायेंगे।

चिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक की पात्रता के म्बन्ध में जांच कर सकता है ।

दि सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि जिस क्ति ने आर्थिक सहायता हेतु आवेदन किया है वह इस लाभ को पाने का लिये पात्र तब वह सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान करेगा ।

(4) स्वीकृतिकर्ता अधिकारी इस निमित प्ररूप XXXVIII में एक रजिस्टर

(5) उपनियम (3) के अन्तर्गत लिये गये किसी विनिश्चय से व्यथित उपनियम के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के अपील दाखिल कर सकेगा और उस पर बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम

फायदाग्राहियों को चिकित्सा सहायता (नियम 280)

बोर्ड ऐसे फायदाग्राही को, जो दुघर्टना या बीमारी के कारण 5 य चिकित्सालय में भर्ती है, को आर्थिक सहायता स्वीकृत कर सकता है की राशि प्रथम पांच दिनों के लिए दो सौ रूपया तथा तत्पश्चात शे रूपया प्रतिदिन किन्तु अधिकतम एक हजार रूपया तक सीमित रहेगी फायदाग्राही को दी जा सकेगी जो दुघर्टनाग्रस्त होने पर पलास्टर पड़ा है। यदि निःशक्तता दुघर्टना से कारित हुई हो, तब कर्मकार पॉच की आर्थिक सहायता के लिए पात्र होगा किन्तु यह निःशक्तता के करेगा। इस हेतु आवेदन प्रारूप संख्या XLII या XLVI पर ऐसे दस्ता किया जायेगा, जैसा बोर्ड विनिर्दिष्ट करें।

शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता (नियम 281)

सदस्यों के बच्चे ऐसी आर्थिक सहायता के लिए पात्र होंगे जैसा बो किया जायेगा तथा शिक्षा के उन पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में लागू हो समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए जायें । ऐसा आवेदन प्ररूप सं0 XLII के साथ और ऐसे समय के भीतर जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

विवाह हेतु आर्थिक सहायता (नियम 282)

ऐसे निर्माण कर्मकार जो निरन्तर 3 वर्ष से सदस्य हैं, अपनी संतान हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। सदस्य भी स्वयं के विवाह हेतु इस सहायता के लिए पात्र होग फायदाग्राही को दो संतानों के विवाहों तक सीमित रखते हुए स्वीकृत हेतु आवेदन प्ररूप संख्या XLIV में ऐसे दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय ।

शन (नियम 283)

पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में कुटुम्ब पेंशन उत्तरजीवी पति या पत्नी को दी जाएगी। पेंशन की धनराशि, पेंशनभोगी द्वारा प्राप्त की गयी पेंशन का 50 प्रतिशत अथवा एक सौ रूपये जो भी अधिक हो, निश्चित होगी । इस हेतु आवेदन पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि से 3 माह के भीतर प्ररूप की संख्या XLV में ऐसे दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय ।

और ऋण की वसूली (नियम 284)

अग्रिम धन और ऋण की वसूली के सम्बन्ध में बोर्ड को शर्तें निर्धारित करने की शक्तियां होंगी ।

के अभिदाय की वापसी (नियम 285)

किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, उसके नाम संचित अभिदाय की धनराशि उसके नामिती को दी जायेगी। नामिती न होने की दशा मे यह धनराशि उसके विधिक वारिसों में समान हिस्सों में संदत्त की जायेगी ।

न नियमों के अन्तर्गत देय सभी आर्थिक सहायताएं, मृत्यु पर मिलने वाली सहायता तथा घटना के समय मिलने वाली चिकित्सकीय सहायता को छोड़कर, कर्मकार के द्वारा निधि की सदस्यता ग्रहण करने के एक वर्ष पश्चात ही संदेय होगी ।

पालिसी के प्रीमियम के संदाय के लिए धन का प्रत्याहरण (नियम 286)

निधि के सदस्य को जीवन बीमा पालिसी के प्रीमियम का भुगतान करने हेतु, उसके नाम निधि में उपलब्ध अवशेष से धनराशि आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। इस प्रयोजन के लिये धनराशि का आहरण वर्ष में एक बार से अधिक नहीं किया जायेगा।

पालिसी से सम्बन्धित पूर्ण विशिष्टियां ऐसे प्ररूप में सचिव को प्रस्तुत की जायेगी जैसा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

प्रीमियम भुगतान के लिए वस्तुतः अपेक्षित धनराशि के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि सदस्य के नामें अवशेष में से स्वीकृत नहीं की जायेगी।

निधि के पक्ष में बीमा पालिसी का समनुदेशन (नियम 287)

(1) धनराशि के प्रत्याहरण के 6 माह के भीतर बीमा पालिसी, बोर्ड के सा
धनराशि की प्रतिभूति के रूप में समनुदेशित की जायेगी।

(2) किसी पुरानी पालिसी को धारित करते हुए उसके प्रीमियम के भुग
स्वीकृति प्रदान करते समय बोर्ड सचिव, जीवन बीमा निगम से यह
कि वह बीमा पालिसी किसी विललंगम से मुक्त है अथवा नहीं।

(3) एक बीमा पालिसी का दूसरी बीमा पालिसी में अन्तरण करते समय
परिवर्तन बोर्ड सचिव की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा
में परिवर्तन सम्बन्धी विशिष्टियां अथवा नई पालिसी में अन्तरण किये
प्ररूप में बोर्ड सचिव को प्रेषित की जायेगी जैसा उसके द्वारा विहि

(4) यदि पालिसी इस प्रकार समनुदेशित और न्यस्त नहीं की गयी है ,
नामे निधि से आहरित की गयी प्रत्येक धनराशि को सदस्य तुरन्त वि
उसी दर से वापस करेगा जो बोर्ड द्वारा सरकार से परामर्श करने
जायेगी।

बीमा पालिसी की वापसी (नियम 288)

बोर्ड निम्नलिखित परिस्थितियों में बीमा पालिसी को लौटा देगा यथा,

(i) सदस्य द्वारा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर स्थायी रूप से न

(ii) किसी शारीरिक अथवा मानसिक निःशक्तता के कारण स्थाई रूप

(iii) सेवा त्यागने से पूर्व सदस्य की मृत्यु होने पर।

(iv) सदस्य द्वारा सेवा परित्याग से पूर्व पालिसी का परिपक्व होना अ
में सदस्य का संदाय प्राप्ति के लिए हकदार हो जाना।

लेखा (नियम 289)

(1) प्रशासनिक व्यय के सिवाय सभी ब्याज, किराया तथा वसूल की गई
निवेश पर समस्त लाभ या हानि, यदि कोई है यथास्थिति– 'ब्याज
उधार अथवा नामे–खर्च, दर्ज की जायेगी।

(2) बोर्ड का सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को या किसी अन्य तिथि को जैसा सरकार विनिर्दिष्ट करें, सरकार को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसके साथ निधि के अन्तर्गत आस्तियों का एक वर्गीकृत विवरण वार्षिक रिपोर्ट के रूप में संलग्न किया जायेगा।

धन का विनिधान (नियम 290)

निधि से सम्बन्धित सभी धनराशि का विनिधन राष्ट्रीयकृत बैंकों या अनुसूचित बैंकों अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1882) की धारा 20 के खण्ड (ए) से (डी) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में किया जायेगा।

निधि का उपयोग (नियम 291)

निधि से धन का खर्च सरकार की पूर्व सहमति के बिना अधिनियम और नियमों में उल्लिखित प्रयोजनों के सिवा किसी दूसरे प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

निधि से व्यय (नियम 292)

(1) निधि के प्रशासन से सम्बन्धित सभी खर्च, बोर्ड के सदस्यों की फीस और भत्ता, यात्रा–भत्ता, सम्पूरक भत्ते, भारित भत्ते, पेंशन अभिदाय एवं कर्मचारीगणों की सुविधाओं पर व्यय, बोर्ड की विधिसम्मत आवश्यकताओं तथा स्टेशनरी के खर्चे, निधि के प्रशासनिक लेखा से वहन किए जायेंगे।

(2) निधि के प्रशासन पर सरकार द्वारा खर्च धनराशि ऋण के रूप में प्रशासनिक लेखा से प्रतिदत्त की जायेगी।

बोर्ड के क्रिया कलापों के सम्बन्ध में रिपोर्ट (नियम 293)

बोर्ड द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कृत कार्यवाहियों से सम्बन्धित रिपोर्ट बोर्ड द्वारा अनुमोदन के पश्चात आगामी वर्ष की 15 जून से पूर्व प्रस्तुत की जायेगी तथा सरकार को उसी वर्ष 31 जुलाई से पूर्व प्रेषित की जायेगी।

रजिस्टरों एवं रिपोर्टों की प्रतियां प्रस्तुत किया जाना (नियम 294)

बोर्ड का सचिव, रजिस्टरों की प्रतियां तथा निधि की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां किसी

नियोजक या निधि के सदस्य द्वारा लिखित रूप से अनुरोध किए जा
निमित्त विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर सरकार के अनुमोदन से

बकाया रकम की वसूली (नियम 295)

यदि कोई रकम किसी नियोजक या सदस्य की ओर बकाया है, त
इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, बकाया धनराशि की
लेने के पश्चात, उस रकम की वसूली हेतु सम्बन्धित जिला कलेक्ट
करेगा। ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर उक्त धन व
रूप में देय बकाये के रूप में करेगा।

**नोटः—उक्त विवरण मार्गदर्शिका मात्र है। कृपया विस्तृत, पूर्ण एवं और अ
के लिए संदर्भित अधिनियमों एवं नियमों को देखें।**

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत राज्य सरकार के दायित्वों/शक्तियों का निर्वहन करते हुए अद्यावधिक कार्यवाही

उत्तरांचल राज्य में विभिन्न निर्माण कार्यों में कार्यरत असंगठित क्षेत्र बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग को विभिन्न प्रकार की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण सम्बन्धी सुविधाओं को सुलभ कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 राज्य में यथाशीघ्र कार्यान्वित करने हेतु शीर्ष प्राथमिकता दी गई। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुपालन में तथा इस निमित **मा0 प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित Special Group की दिनांक 18.2.05 को मसूरी में तथा दिनांक 29.6.05 तथा 30.6.05 को त्रिवेन्द्रम (केरल) में आयोजित बैठकों में भाग लेते हुए उत्तरांचल सरकार द्वारा त्वरित कार्यवाही अपनायी गयी** जिसके क्रम में अब तक निम्नलिखित कार्य पूर्ण कर लिया गया है:–

1. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 5 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 2196/श्रम– सेवा /680–श्रम/2003 दिनांक 5 नवम्बर, 2003 एवं अधिसूचना संख्या–3531/श्रम सेवा/680–श्रम/2003 दिनांक 12 नवम्बर, 2003 द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श पर उत्तराचल सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 40 एवं 62 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए **उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2005** अधिसूचना संख्या 963/VIII/680–श्रम/2002 दिनांक 25 जून, 2005 द्वारा प्रख्यापित की गयी है।

2. अधिनियम की धारा 62 (4) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2005 को **मा0 मंत्री जी, श्रम एवं सेवायोजन द्वारा विधान सभा के पटल पर दिनांक 20.10.2005 को रखा गया।**

3. अधिनियम की धारा 6 सपठित नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सन्निर्माण प्रतिष्ठानों के

रजिस्ट्रेशन हेतु समस्त सहायक श्रमायुक्तों एवं उप श्रमायुक्तों को स
अधिसूचना संख्या 687/VIII/1063–श्रम/2005 दिनांक 15 अप्रैल, 200
अधिकारी नियुक्त किया गया है।

4. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध होने पर ऐसे आदेश
की धारा 9 के अन्तर्गत श्रमायुक्त उत्तरांचल, हल्द्वानी तथा अपर श्र
देहरादून को सम्पूर्ण राज्य के लिये अधिसूचना संख्या 690/VIII/1063–
15 अप्रैल, 2005 द्वारा **अपीलीय अधिकारी** नियुक्त किया गया है।

5. अधिनियम की धारा 42 (3) के अन्तर्गत श्रम विभाग के अन्तर्गत कार्यर
उत्तरांचल, देहरादून, समस्त उप श्रमायुक्तों, समस्त सहायक श्रमायुक्तों
प्रवर्तन अधिकारियों को सम्पूर्ण राज्य के लिये अधिसूचना संख्या 689/VIII/
दिनांक 15 अप्रैल, 2005 द्वारा **निरीक्षक** नियुक्त किया गया है।

6. अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा श्रमायुक्त उत्तरांच
सं0 688/VIII/1063–श्रम/2005 दिनांक 15 अप्रैल, 2005 द्वारा **मुख्य नि**
अन्य सन्निर्माण निरीक्षण के रूप में नियुक्त किया गया है।

7. अधिनियम की धारा 18 सपठित नियमावली के नियम 251 के अन्तर्गत
सन्निर्माण कर्मकारों के हितार्थ अधिसूचना संख्या 2178/VIII/84–श्रम/
अक्टूबर, 2005 द्वारा **उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण**
किया गया है, जिसके **अध्यक्ष, मा0 मंत्री जी, श्रम एवं सेवायोजन हैं।**

8. अधिनियम की धारा 4 सपठित राज्य नियमावली के नियम 17 के अन्तर्गत
गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून को अधिसूचना संख्या 2171/VIII/103–श्रम/200
2005 द्वारा **राज्य सलाहकार समिति का सचिव** नियुक्त किया गया है।

9. अधिनियम की धारा 18, 19 सपठित राज्य नियमावली के नियम 263 के
श्रमायुक्त, उत्तरांचल, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून को अधिसू
2191/VIII/108–श्रम/2005 दिनांक 7.11.2005 द्वारा उत्तरांचल भवन
कर्मकार कल्याण बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है।

देश संख्या 2175/VIII/680–श्रम टी0सी0–II/02 दिनांक 31 अक्टूबर, 2005 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, समस्त मण्डलायुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, कारी, प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्याधिकारी, समस्त राजकीय निगम, मुख्य नगर री, नगर निगम, देहरादून, समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय, उत्तरांचल एवं अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को उपरोक्त अधिनियम तथा नियमावली के ुख्य प्रावधानों की जानकारी देते हुए, उन्हें तत्परता से इसका क्रियान्वयन किये जाने ाति सूचना से श्रम विभाग को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

यम की धारा 4 सपठित नियम 10 के अन्तर्गत **राज्य सलाहकार समिति की सदस्यता** दो **मा0 विधायकगण** को निर्वाचित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते ेति के गठन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

वं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की 3 सपठित **उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त न) नियम, 2005 के नियम 251** के अन्तर्गत गठित **उत्तरांचल भवन और सन्निर्माण कल्याण बोर्ड** द्वारा सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याणार्थ संचालित किये जाने वाले कार्यों के लिये आय प्राप्ति हेतु अन्य मदों के साथ–साथ **भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण उपकर अधिनियम, 1996** की धारा 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत सरकार O 2899 दिनांक 26.9.1996 के अनुसार निर्धारित (Specified) निर्माण लागत के 1 % बर उपकर की धनराशि निर्धारित (assess) किये जाने हेतु Cess Assessing rs, Cess Collectors एवं Appellate Authority की नियुक्ति की कार्यवाही ीन है।

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण वि0 एवं प्रौ0 विभाग

संख्याः 2196/श्रम सेवा/680 –श्रम/2003

देहरादून : दिनांक : 5 नवम्बर, 2003

अधिसूचना

दि बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स (रेगुलेशन ऑफ इम्पलॉयमेंट ए
सर्विस) एक्ट, 1996 के अन्तर्गत नियमावली, विनिर्मित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य
देने हेतु अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत निम्नवत एक्सपर्ट कमेटी के गठन की श्र
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. प्रबन्ध निदेशक, गढवाल मण्डल विकास निगम, देहरादून या उनके द्वारा न
महाप्रबन्धक स्तर से कम का न हो, तथा जिन्हें निर्माण कार्य का विशिष्ट ज्ञ
2. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल।
3. श्री कृष्ण कुमार, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, हल्द्वानी।
4. महाप्रबन्धक, टी0एच0डी0सी0, ऋषिकेश।
5. श्री रमेश चन्द्र जैन, उत्तरांचल चैम्बर ऑफ कामर्स, देहरादून।
6. श्री भगवान सिंह रावत, 193–ओल्ड डालनवाला, देहरादून (ट्रेड यूनियन श्र
7. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी।

श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी इस कमेटी के सदस्य–सचिव होंगे। उक्त
अपनी संस्तुति शासन को प्रस्तुत करेगी।

ह0/–

(नृप सिंह न

प्रमुख स

पृष्ठांकन संख्या 2196 (1)/श्रम सेवा/680 – श्रम/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कमेटी के उक्त समस्त सदस्यगण।
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी/अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
3. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे न
आगामी साधारण गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें। साथ ही वांछित प्र
उपलब्ध करा दें।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/–

(के0 एस0

अपर

उत्तरांचल शासन
श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण वि0 एवं प्रौ0 विभाग
संख्याः 3531 /श्रम सेवा/680 –श्रम/2003
देहरादून : दिनांक : 12 नवम्बर, 2003

शुद्धि–पत्र

दि बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स (रेगुलेशन ऑफ इम्पलॉयमेंट एण्ड कंडीशन्स ऑफ सर्विस) एक्ट, 1996 के अन्तर्गत नियमावली, विनिर्मित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को परामर्श देने हेतु अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन शासन की अधिसूचना संख्या 2196/श्रम सेवा/680–श्रम/2003 दिनांक 5 नवम्बर, 2003 द्वारा किया गया है। इस अधिसूचना में श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी को इस कमेटी का सदस्य–सचिव नियुक्त किया गया है, के स्थान पर निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

"श्रमायुक्त, उत्तरांचल इस कमेटी के चेयरमैन तथा अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून सदस्य–सचिव होंगे।"

2– उक्त अधिसूचना इस सीमा तक ही संशोधित समझी जाय।

ह0/–
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या 3531/श्रम सेवा/680 – श्रम/2003 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कमेटी के उक्त समस्त सदस्यगण।
2. श्रमायुक्त/अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल।
3. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त शुद्धि–पत्र को आगामी साधारण गजट में प्रकाशनार्थ।
4. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह0/–
(के0 एस0 दरियाल)
अपरसचिव

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्याः /VIII/1063–श्रम/2005
देहरादून : दिनांक : 15 अप्रैल, 2005

अधिसूचना

महामहिम राज्यपाल भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा
अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हु
स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अन
में यथा निर्दिष्ट अधिकारिता में उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन रजिस्ट्रीक
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के रूप में नियुक्त

अनुसूची

अधिकारी	अधिकारिता
1	2
सभी उप/सहायक श्रमायुक्त, उत्तरांचल।	सम्पूर्ण उत्तरांच

ह0/–
(नृप सिंह
प्रमुख

पृष्ठांकन संख्या 687/VIII/1063 – श्रम/2005 दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी ।
2. अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून ।
3. उप/सहायक श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून ।
4. उप/सहायक श्रमायुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी ।
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूच
असाधारण सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह0
(अ

उत्तरांचल शासन
श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण वि0 एवं प्रौ0 विभाग
संख्याः /VIII/1063 –श्रम/2005
देहरादून : दिनांक : 15 अप्रैल, 2005

अधिसूचना

महामहिम राज्यपाल भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधि नियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारियों को, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में यथा निर्दिष्ट अधिकारिता में उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन अपीलीय अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपीलीय अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं ।

अनुसूची

अधिकारी	अधिकारिता
1	2
श्रमायुक्त, उत्तरांचल/अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून ।	सम्पूर्ण उत्तरांचल

ह0/–
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या 690/VIII/1063– श्रम/2005 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी ।
2. अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून ।
3. उप/सहायक श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून ।
4. उप/सहायक श्रमायुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी ।
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को असाधारण सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह0/–
(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव

उत्तरांचल शासन
श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण वि0 एवं प्रौ0 विभाग
संख्याः /VIII/1063 –श्रम/2005
देहरादून : दिनांक : 15 अप्रैल, 2005

अधिसूचना

महामहिम राज्यपाल भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा स
अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 42 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियो
नीचे अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारियों को, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2
अधिकारिता में उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उनके अधीन निरीक्षकों को प्रदत्त शक्तियों
लिए निरीक्षक के रूप में नियुक्त करते है ।

अनुसूची

अधिकारी	अधिकारि
1	2
(1) अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल,गढवाल क्षेत्र, देहरादून । (2) सभी उप श्रमायुक्त, उत्तरांचल । (3) सभी सहायक श्रमायुक्त, उत्तरांचल । (4) सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी/ मुख्य अन्वेषक, उत्तरांचल।	सम्पूर्ण उ

ह0/–
(नृप सिंह नप
प्रमुख स

पृष्ठांकन संख्या 689/VIII/1063 – श्रम/2005 दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी ।
2. अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून ।
3. उप/सहायक श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून ।
4. उप/सहायक श्रमायुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी ।
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसू
असाधारण सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह0
(अ

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण वि0 एवं प्रौ0 विभाग

संख्याः /VIII/1063 –श्रम/2005

देहरादून : दिनांक : 15 अप्रैल, 2005

अधिसूचना

महिम राज्यपाल भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) 996 (1996 का 27) की धारा 42 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यम के अधीन श्रमायुक्त, उत्तरांचल को तत्काल प्रभाव से मुख्य निरीक्षक, भवन और अन्य शिक्षण के रूप में नियुक्त करते हैं ।

ह0/–

(नृप सिंह नपलच्याल)

प्रमुख सचिव

संख्या 688/ VIII /1063 – श्रम/2005 दिनांकित

ये निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी ।

अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून ।

उप/सहायक श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून ।

उप/सहायक श्रमायुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी ।

उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को असाधारण सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

ह0/–

(आर0के0 चौहान)

अनुसचिव

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्याः 2178 /VIII/84–श्रम/05
देहरादून : दिनांक 31 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

श्री राज्यपाल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त वि
1996 की धारा 18 तथा उसकी उपधारा (3) के साथ पठित उत्तरांचल भवन और अन्
(नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियमावली, 2005 के नियम 251 के अधीन प्रदत्त
करके उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को निम्न प्रकार ग
स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

1–अध्यक्ष	मा0 मंत्री जी, श्रम एवं सेवायोजन, उत्तरांचल।
2–केन्द्र सरकार द्वारा नामित सदस्य	अनुसचिव, डी0जी0 (एल0डब्लू0 कार्यालय), जैशलमेर ह नई–दिल्ली।
3–राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति	(1) सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन (2) सचिव, न्याय, उत्तरांचल शासन (3) मुख्य निरीक्षक, निरीक्षण, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्म सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम,1996 उत्तरांचल, श्रम भ हल्द्वानी ।
4–सेवायोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति	(1) मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल या उन ाकारी जो अधीक्षण अभियंता से निम्न न हो। (2) श्री राकेश शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैसर्स जय प्र 113–राजपुर रोड, देहरादून । (3) श्री मोहन सिंह बिल्डर ,फालतू लाईन, देहरादून ।
5–श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति	(1) श्री पुरुषोत्तम रावत, भागीरथी पुरम, नई टिहरी (2) श्रीमती रईसा फातिमा पत्नी श्री गुड्डन, भगत सिंह क (3) श्री लवेन्द्रसिंह चिलवाल, सुभाषनगर, हल्द्वानी ।

2– राज्यपाल महोदय उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन यह
कि उक्त कल्याण बोर्ड शाश्वत् उत्तराधिकार वाला एक निगर्मित निकाय होगा, बोर्ड की
होगी तथा उसे उक्त नाम से वाद लाने तथा उस पर वाद लाये जाने की शक्ति भी

ह0/–
(नृप सिंह नप
प्रमुख स

पृष्ठांकन संख्याः 2178(1)/VIII/84–श्रम/05 तद्दिनांकित :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मा0 अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण, उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
3. सचिव, उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
4. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तरांचल।
6. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल।
7. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
8. उपश्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र/कुमायूं क्षेत्र, देहरादून/हल्द्वानी।
9. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को उक्त अधिसूचना को राजकीय असाधारण गजट में प्रकाशित कर, 100 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/–
(सोहन लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्याः /VIII/108–श्रम/2005
देहरादून : दिनांक : 7 नवम्बर, 2005

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त वि
2005 के नियम 17 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप श्रमायुक्त, गढ़वा
राज्य सलाहकार समिति, उत्तरांचल का सचिव तत्काल प्रभाव से नियुक्त किये जाने की
स्वीकृति प्रदान करते है। राज्य सलाहकार समिति, उत्तरांचल के सचिव उक्त नि
प्राविधानित शक्तियों का प्रयोग एवं दायित्वों का निर्वहन अपने वर्तमान पद के साथ–

ह0/–
(नृप सिंह न
प्रमुख स

पत्रांक 2171 /VIII/108–श्रम/2005 तद्दिनांकित :–
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एवं समस्त
2– सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई–दिल्ली ।
3– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
4– श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी ।
5– सम्बन्धित अधिकारी।
6– अपर श्रमायुक्त उत्तरांचल, गढवाल–क्षेत्र, देहरादून ।
7– उप श्रमायुक्त, कुमायूं क्षेत्र/गढ़वाल क्षेत्र, हल्द्वानी/देहरादून।
8– गार्ड–फाइल ।

आज्ञा से,
ह0

उत्तरांचल शासन

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

संख्याः /VIII/108–श्रम/2005

देहरादून : दिनांक : 7 नवम्बर, 2005

कार्यालय ज्ञाप

रांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियमावली, म 263 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपर श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून न भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का सचिव तत्काल प्रभाव से नियुक्त किये राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका अनुमोदन उत्तरांचल भवन एवं अन्य र्मकार कल्याण बोर्ड से करा लिया जाय। बोर्ड के सचिव उक्त नियमावली के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग एवं दायित्वों का निर्वहन अपने वर्तमान पद के साथ–साथ करेंगे ।

ह0/–

(नृप सिंह नपलच्याल)

प्रमुख सचिव

1/VIII/108–श्रम/2005 तद्दिनांकित :–

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

चल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण ।
श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई–दिल्ली ।
मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
क्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी ।
यत अधिकारी।
श्रमायुक्त उत्तरांचल, गढवाल–क्षेत्र, देहरादून ।
मायुक्त, कुमायूं क्षेत्र/गढ़वाल क्षेत्र, हल्द्वानी/देहरादून।
फाइल ।

आज्ञा से,

ह0/–

(सोहन लाल)

अपर सचिव

संख्याः 2175 / VIII / 680–

प्रेषक,

श्री नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. सभी मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
3. सभी विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. सभी जिलाधिकारी, उत्तरांचल
5. समस्त प्रबन्ध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजकीय
6. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून तथा समस्त अधिशासी निकाय, उत्तरांचल।
7. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरांचल।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग देहरादूनः दिनांक 31 अक्टूबर, 2

विषयः– उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तरांचल राज्य के गठन की पांचवीं वर्षगांठ के शुभअवसर पर मुझे आपको यह निदेश हुआ है कि प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत श्रमिक बल के नि शर्तों के विनियमन, उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा के लिये कल्याणकारी उपाय कर भारत सरकार द्वारा अधिनियमित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेव अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को राज्य में कार्यान्वित करने हेतु समुचित सरकार (Appropria के रूप में अधिनियम की धारा 40 और धारा 62 के अन्तर्गत उत्तरांचल सरकार द्वारा **उत्त अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2005** बनाये की अधिसूचना संख्या 963 / VIII / 680–श्रम / 2002 दिनांक 25 जून, 2005 द्वारा प्रख्या तथा जिन्हें विधानसभा के पटल पर दिनांक 20.10.2005 को विधिवत प्रस्तुत कर दिया

2– आप अवगत हैं कि उत्तरांचल मे विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य यथा–टिहरी बांध भाली जल विद्युत परियोजना, सुरंग निर्माण, विभिन्न सड़क और पुल निर्माण, जल–कल निर्माण, मरम्मत, ध्वस्तीकरण, सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन आदि अनेक निर्माण संक्रियाएं सरकारी विभागों तथा निगमों , ठेकेदारों / संस्थाओं, फर्मों, कम्पनियों द्वारा संचालित की निर्माण कार्यों में कार्यरत निर्माणी मजदूरों को सदैव ही जान–माल और अंग–भंग का ख

क्योंकि उनकी कार्य की प्रकृति कठिन और खतरनाक है। इतना ही नहीं उनका रोजगार भी आकस्मिक प्रकृति का होता है। मालिक मजदूर का सम्बन्ध कार्य की निरंतरता तक सीमित रहता है, उनके कार्य के घण्टे अनिश्चित होते हैं, कार्यस्थलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं का अभाव होता है।

3– उक्त अधिनियम और राज्य सरकार द्वारा विनिर्मित नियमावली इन्हीं श्रमिकों के कल्याण के लिये बनाई गयी है, जिनको कार्यान्वित करने का प्रदेश सरकार का न केवल विधिक दायित्व है अपितु नैतिक कर्तव्य भी है। चूंकि अब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियमावली भी प्रवर्त्त हो गयी है, अतः प्रदेश में उक्त के अन्तर्गत कल्याणकारी योजनाओं को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नांकित हैं:–

1. 10 या 10 से अधिक निर्माण श्रमिकों को नियोजित करने वाले सभी स्थापनों तथा अधिष्ठानों का पंजीयन एवं नवीनीकरण।
2. लाभार्थी के रूप में 18 से 60 वर्ष की आयु के निर्माण कर्मकारों के पंजीयन की अनिवार्यता एवं उन्हें पहचान पत्र दिया जाना।
3. पंजीकृत लाभार्थी कर्मकारों को पेंशन, निशक्तता पेंशन, भवन क्रय अथवा भवन निर्माण हेतु अग्रिम, औजार क्रय करने हेतु ऋण, अन्त्येष्टि सहायता, मृत्यु पर कर्मकार के आश्रित को सहायता, शिक्षा एवं विवाह हेतु आर्थिक सहायता, कुटुम्ब पेंशन, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, मातृका हितलाभ आदि विभिन्न हितलाभ उपलब्ध कराने हेतु राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन।
4. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार निधि का गठन, जिसमें केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान एवं ऋण, लाभार्थियों द्वारा दिया गया अंशदान तथा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोतों से जैसे उपकर (Cess) के रूप में बोर्ड को प्राप्त धनराशि जमा होगी ।
5. **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (कल्याण उपकर अधिनियम, 1996)** की धारा 3 के साथ पठित केन्द्र सरकार के आदेश संख्या SO-2899 दिनांक 26.9.96 के अन्तर्गत निर्माण अधिष्ठानों के सेवायोजकों से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित निर्माण कार्य के लागत का 1(एक) प्रतिशत उपकर (Cess) के रूप में वसूल की जाने वाली धनराशि जिसमें संग्रह व्यय कम करते हुए बोर्ड को भुगतान किया जाना।
6. निर्माणी कर्मकारों के कार्य के घण्टे, ओवर टाइम, साप्ताहिक अवकाश तथा कार्यस्थल पर पीने के पानी और शौचालय, शिशु गृह, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करना तथा नियोजित किये गये कर्मकारों से सम्बन्धित अभिलेखों का रख–रखाव, तथा सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न प्रावधान।
7. अधिनियम के कियान्वयन, प्रशासन और प्रवर्तन हेतु वैधानिक निकाय और प्राधिकारी यथा–राज्य कल्याण बोर्ड, राज्य सलाहकार समिति, मुख्य निरीक्षक भवन और अन्य सन्निर्माण निरीक्षण, निरीक्षक, अपीलीएट ऑथोरिटी आदि के गठन एवं नियुक्ति की वैधानिक औपचारिकताएं भी पूर्ण

कर उन्हें अधिसूचित किया जा चुका है अथवा तत्सम्बन्धी कार्यवाही प्रगति पर
अधिकारियों की अधिसूचना भी शीघ्र जारी की जा रही हैं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के प्रवर्तन सम्बन्धी कार्य को भारत
न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया है, जिसके अनुश्रवण हेतु प्रधानमंत्री का
ग्रुप का गठन किया गया है और इस संदर्भ में समय–समय पर आयोजित बैठक
क्रियान्वयन की प्रगति की सूचना प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

अतः अनुरोध है कि कृपया इस अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत निर्मित नियमा
तत्परता से किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ विभागों, निगमों/संस्थाओं तथा निकायों को
करें और इस दिषा में हुई प्रगति की सूचना से श्रम विभाग को भी अवगत कराने की

भवदी

ह0/–

(नृप सिंह नप

प्रमुख स

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या: /VIII/ 606 -श्रम/2005 T.C.
देहरादून दिनांक 23 नवम्बर, 2005

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, **भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर** यम, 1996 (1996 का 28) की धारा 3 की उपधारा (2) एवं उसके अन्तर्गत बनाए **न और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998** के नियम 2 के (च) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तरांचल राज्य में तैनात **तहसीलदारों** को उनकी अधिकारिता की सीमा के भीतर उक्त अधिनियम और के संगत उपबन्धों के प्रयोजनार्थ **सेस कलेक्टर** नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति करते हैं।

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

न संख्या 2277 /VIII/606-श्रम/2005 T.C. तद्दिनांकित :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
अध्यक्ष/सचिव, उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
समस्त सदस्य, उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
समस्त परगना मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल ।
समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी ।
अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
समस्त उप/सहायक श्रमायुक्त, उत्तरांचल।
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को उक्त अधिसूचना असाधारण गजट में प्रकाशित कर 300 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने हेतु।
गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सोहनलाल)
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

संख्याः /VIII/ 680-श्रम/2005 TC II

देहरादून दिनांक 23 नवम्बर, 2005

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, **भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण**
अधिनियम, 1996 (1996 का 28) की धारा 4 की उपधारा (1) सपठित धारा
उपधारा (1) एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए **भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार क**
उपकर नियम, 1998 के नियम 2 के खण्ड (छ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
हुए, उत्तरांचल राज्य में तैनात समस्त **उप जिलाधिकारियों** को उनकी अधिकारि
सीमा के भीतर उक्त अधिनियम एवं नियमों के संगत उपबन्धों के प्रयोजनार्थ नि
अधिकारी और **विहित प्राधिकारी** नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 2278 /VIII/680-श्रम/2005 TC II तद्दिनांकित :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4- अध्यक्ष/सचिव, उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
5- समस्त सदस्य, उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7- समस्त परगना मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल ।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
9- श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी ।
10- अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
11- समस्त उप/सहायक श्रमायुक्त, उत्तरांचल।
12- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को उक्त अधिसूचना असाधारण में प्रकाशित कर 300 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने हेतु।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सोहनलाल)
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या: 2279 /VIII/ 600 -श्रम/2005 T2.5
देहरादून दिनांक 23 नवम्बर, 2005

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, **भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर**
नियम, 1996 (1996 का 28) की धारा 11 एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए **भवन और**
प सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 2 के खण्ड (ज) के द्वारा
त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तरांचल राज्य में तैनात समस्त **जिला मजिस्ट्रेट**
अपर जिला मजिस्ट्रेटों को उनकी अधिकारिता की सीमा के भीतर उक्त अधिनियम एवं
मों के संगत उपबन्धों के प्रयोजनार्थ **अपील प्राधिकारी** नियुक्त करने की सहर्ष
कृति प्रदान करते हैं।

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

ांकन संख्या 2279 /VIII/ 600-श्रम/2005 T2.5 तद्‌दिनांकित :–
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
अध्यक्ष/सचिव, उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
समस्त सदस्य, उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
समस्त परगना मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल ।
समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी ।
अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
समस्त उप/सहायक श्रमायुक्त, उत्तरांचल।
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को उक्त अधिसूचना असाधारण गजट में प्रकाशित कर 300 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने हेतु।
गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सोहनलाल)
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन

श्रमायुक्त, उत्तरांचल

श्रम भवन, नैनीताल मार्ग, हल्द्वानी, उत्तरांचल
दूरभाष : 05946-224214 टेलिफैक्स : 05946-282805